रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1972/पौष 25, 1893

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1972/PAUSA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th December 1971

G.S.R. 103(Contract/Amendment No. 34).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution the President hereby directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 585 dated the 1st February, 1966, relating to the execution of contracts and assurance of property namely:—

In the said notification:

1. In part V which relates to the Ministry of External Affairs, after clause (e) of item 5, the following clause shall be added namely:—

"(f) All agreements and contracts made in exercise of the executive power of the Union with the Government of U.S.S.R., *by the Counsellor (Coordination) and Counsellor (Commercial) in the Embassy of India in Moscow.*

2. In Part XIII which relates to the Ministry of Irrigation and Power, Under Head 'A' after clause (vi), the following clause shall be added, namely:—

"(vii) Indemnity bonds from the trainees at the Thermal Power Station Personnal Training Institute, Neyvali; *by Deputy Secretary (Administration) in the Ministry of Irrigation and Power.*

3. In Part XVIII which relates to the Ministry of Railways, in item 16, the words "or advances from the State Railway Provident Fund for the purpose of purchasing or building a house" shall be deleted.

4. In part XIX which relates to the Ministry of Supply and Technical Development, in item 7, for the existing clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) All contracts and other instruments relating to clearing agency business; *by the Deputy Director (Import and Shipping) in the Directorate General of Supplies and Disposals.*

5. In Part XXII which relates to the Department of Atomic Energy, under Head 'M' for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:

1. All categories of contracts and/or instruments and or assurances of property relating to heavy Water Projects: *by the Officer on Special Duty/Project Director, Heavy Water Projects.*

2. (i) All contacts and instruments relating to word of all kinds.

(ii) contracts for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(iii) contracts and instruments relating to disposal of surplus, obsolete or unserviceable stores and equipment scrap etc.

(iv) Security bonds for the due performance and completion of works of all kinds.

(v) (a) Contracts relating to servicing of equipment, instruments, or machinery.

(b) Contracts relating to fabrication and assembly of all equipment, components and materials including those required for the unclear portion of the plant;

by the project Manager, Heavy Water Project (Baroda) in so far as it relates to the Heavy Water Project (Baroda) and Project Manager, Heavy Water Project (Kota) in so far as it relates to the Heavy Water Project (Kota).

3. (i) Contracts for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(ii) Contracts and instruments relating to disposal of surplus obsolete or unserviceable stores and equipment scrap etc.

(iii) Service Agreement/Service Bonds for fulfilment by Government servants of their obligation to serve Government for a specified period.

(iv) Security bonds of cashiers and other Government servants or their sureties for the performance of their duties or the due accounting of the money or other property received by virtue thereof.

(v) Agreements for hire of buildings.

(vi) All contracts and/or instruments and assurances of property.

(vii) Agreements for catering contracts in hostals and canteens.

(viii) Agreements relating to supply of water or electricity.

(ix) Contracts relating to servicing of equipment, instruments or machinery;

by the Senior Administrative Officer, Heavy Water Projects.

4. (i) All contracts and instruments relating to civil and structural works of all kinds.

(ii) Contract for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(iii) Security bonds for the due performance and completion of works of all kinds;

by the Project Engineer (Civil), Heavy Water Projects

No. F. 17(1)66-J

A. DAS GUPTA,
Addl. Legal Advisor.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 27 दिसम्बर 1971

सा०का०नि० 103.—(संविधान/संशोधन सं० 34) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निर्देश देते है कि संविदाओं और सम्पति के हस्तान्तरण-पत्रों के निष्पादन के बारे में भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 585 तारीख 1 फरवरी 1966 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगें अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में :-

1 भाग 5 में जो विदश मंत्रालय से सम्बन्धित है मद 5 के खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा अर्थात :-

(च) संघ की कार्यपालन शक्ति का प्रयोग करते हुए, यू०एस०एस०आर० सरकार के साथ किए गए सभी करार और संविदा **मास्को में भारत के राजदूतावास में परामर्श (समन्वय) और परामर्श (वाणिज्यिक) द्वारा।**

2. भाग 13 में, जो सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित है शीर्ष 'क' के नीचे खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा अर्थात :-

"(vii) थर्मल पावर स्टेशन परसोनेल ट्रेनिंग इंस्टीटयुट नेवली में प्रशिक्षणार्थियों से क्षति पूर्ति पत्र :

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा।

3. भाग 18 में, जो रेल मंत्रालय से सम्बन्धित है मद 16 में, 'या मकान खरीदने या बनाने के प्रयोजन के लिए स्टेट रेलवे प्राविडेन्ट फण्ड से उधारों शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

4. भाग 19 में जो पूर्ति और तकनीकी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित है मद 7 में विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखितपत खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"(iii) शोधन एजेंसी कारबार से संबन्धित सभी संविदाएं और अन्य लिखते; **पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के उपनिदेशक (आयात और पोत परिवहन) द्वारा।"**

5. भाग 22 में, जो परमाण ऊर्जा विभाग से संबंधित है शीर्ष 'ङ' के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात :

1. भारी जल परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रवर्गों को संविदाएं और या लिखतें और या सम्पति के हस्तान्तरण पत्र ;

विशेष कार्य अधिकारी/परियोजना निदेशक भारी जल परियोजना द्वारा।

2. (i) सभी किस्मों के संकर्मों से संबंधित सभी संविदाएं और लिखतें।

(ii) उपस्कर, स्टोरों और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, द्वारा प्रवहण या वहन के लिए संविदाए ।

(iii) फालतु अप्रचलित या काम में न आने वाले स्टोर और उपस्कर, कतरन, आदि के व्ययन से संबंधित संविदाएं और लिफाफे ।

(iv) सभी किस्मों के संकर्मों के सम्यक् सम्पादन और पूरा करने के लिए प्रतिभूति पत्र ।

(v) (क) उपस्कर औजारों या मशीनरी की सर्विस करने से सम्बन्धित संविदाएं ।

(ख) सभी उपस्कर संघटकों और सामग्रियों जिनके अन्तर्गत वे सभी हैं जो प्लांट के नाभिकीय भाग के लिए अपेक्षित हैं, के बनाने और जोड़ने से सम्बन्धित संविदाएं ;

जहां तक यह भारी जल परियोजना (बड़ौदा) से सम्बन्ध रखता है परियोजना प्रबन्धक, भारी जल परियोजना (बड़ौदा) और जहां तक वह भारी जल परियोजना से सम्बन्ध रखता है परियोजना प्रबन्धक, भारी जल परियोजना (कोटा) द्वारा ।

3 (i) उपस्कर, स्टोरों और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, प्रवहण या वहन के लिए संविदाएं ।

(ii) फालतू अद्ययतिम या काम में न आने वाले स्टोर और उपस्कर, कतरन आदि के व्ययन से सम्बंधित संविदाएं और लिखतें ।

(iii) सरकारी सेवकों द्वारा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार की सेवा करने का अपना दायित्व पूरा करने के लिए सेवा करार/सेवा बंधपत्र ।

(iv) अपने कर्तव्यों के पालन या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के सम्यक् सेवा देने के लिए रोकड़ियों और अन्य सभी सरकारी सेवकों या उनके प्रतिभूतों के प्रतिभूति पत्र ।

(v) भवन किराये पर लेने के लिए संविदाएं ।

(vi) सभी संविदाएं और/या लिखतें और सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र ।

(vii) होस्टलों और कैन्टीनों में खान-पान प्रबन्ध के संविदाओं के लिए करार ।

(viii) जल और विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित करार ।

(ix) उपस्कर, औजारों या मशीनरी की सर्विस करने से सम्बन्धित संविदाएं ।

मुख्य प्रशासन अधिकारी, भारी जल परियोजना द्वारा

(i) सभी किस्मों के सिविल और निर्माण संबंधी संकर्मों से संबंधित सभी संविदाएं और लिखतें ।

(ii) उपस्कर, स्टोरों और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, प्रवहण या वहन के लिये संविदा ।

(iii) सभी किस्मों के संकर्मों के सम्यक् सम्पादन और पूरा करने के लिये प्रतिभूति पत्र ।

परियोजना इंजीनियर (सिविल), भारी जल परियोजना द्वारा ।

[सं० फा० 17(1)/66-न्या०]

ए० दास० गुप्ता,
अपर विधि सलाहकार

Department of Justice

New Delhi, the 10th January 1972

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1971 (78 of 1971), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 19/25/71-Judl. (B).]

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

जी०एस०आर० 104—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 78) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 1972 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जब से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं० 19/25/71-न्यायिक (ख)]

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1971 (77 of 1971), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1972, as the date on which the provisions other than those contained in section 3 and clauses (a) & (b) of section 4 of the said Act shall come into force.

[No. 19/25/71-Judl.(B).]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

जी०एस०आर० 95—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 77) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 1972 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जब से उक्त

अधिनियम की धारा 4 के खंड (क) और (ख) और धारा 3 में विहित प्रावधान से भिन्न प्रावधान प्रवृत होंगे ।

[सं० 19/25/71—न्यायिक (ख)]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव ।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 31st December 1971

THE CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE (QUALIFYING EXAMINATION FOR TELEPHONE OPERATORS) REGULATIONS, 1971—

G.S.R. 106.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 12 of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, the Central Government in the Department of Personnel, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Clerical Service (Qualifying Examination for Telephone Operators) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force with effect from 1st January, 1972.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "examination" means a qualifying examination held by the Institute of Secretariat Training and Management for appointment of Telephone Operators to the Lower Division Grade of the Service;

(b) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(c) "Telephone Operator" means a person holding the post of Telephone Operator in any Ministry or office specified in column (2) of the First Schedule to the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962;

(d) All other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, shall have the meanings respectively assigned to them in the said rules.

3. **Holding of the Examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management in the manner notified from time to time by the Central Government.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the said Institute.

4. **Conditions of Eligibility.**—(1) Any permanent or temporary Telephone Operator shall be eligible to appear at the examination.

NOTE.—Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to another ex-cadre post or to another Service on transfer if he continues to have a lien in the post of Telephone Operator for the time being.

(2) **Attempts at the Examination.**—A candidate should not have already competed more than once at the examination held after the 1st January, 1972.

(3) **Fee**—Subject to such exemptions or concessions as may be notified from time to time in this behalf, a candidate shall pay the fee specified by the Institute of Secretariat Training and Management.

5. **Canvassing of Candidature.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute of Secretariat Training and Management to be a conduct which would disqualify him/her for admission to the Examination.

6. **Decision as to Eligibility.**—The decision of the Institute of Secretariat Training and Management as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final, and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the said Institute shall be admitted to the examination.

7. **Results.**—(1) The names of the candidates, who are considered by the Institute of Secretariat Training and Management to be suitable for induction to the Service on the results of the examination shall be recommended for such induction.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the said Institute may also be recommended by them with due regard to the maintenance of efficiency of administration for induction into the Service on the results of the examination.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the said Institute in their discretion, and the said Institute shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

8. **Appointments.**—(1) Candidates shall have to pass, if not already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Institute of Secretariat Training and Management at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi, per minute, within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to them until they have passed the said test;

(2) Candidates who do not pass the said typewriting test within the period of probation shall be liable to be discharged from service;

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation's (i) and (2), a candidate, who has been declared by the competent medical authority, i.e., the Civil Surgeon, to be permanently unfit to pass the typewriting test because of a physical disability may, in consultation with the Department of Personnel, be exempted from the requirement of passing the typewriting test and, in the event of his/her being so exempted, the provisions of sub-regulations (1) and (2) shall cease to be applicable to him/her from the date of such exemption;

(4) Candidates, who had already passed or may pass the said test within a period of 6 months from the date of appointment will, however, be granted the first increment after 6 months instead of one year's service which will be absorbed in the subsequent regular increments.

9. **Penalty for Impersonation or other Misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Institute of Secretariat Training and Management guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which has or have been tampered with or

of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the said Institute from admission to any examination or from appearance at any interview held by the said Institute for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under it;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

[No. 8/58/71-CS-II(II).]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 106.—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के अनुसरण में भारत सरकार का कार्मिक विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (टैलीफोन आपरेटरों हेतु अर्हता) परीक्षा विनियम, 1971

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**— (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (टैलीफोन आपरेटरों हेतु अर्हता परीक्षा) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 1-1-1972 से लागू हो जायेंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "परीक्षा" का अभिप्राय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में टैलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाने वाली अर्हता परीक्षा से है ;

(ख) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित आदिम जातियों" का वही अभिप्राय होगा जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) तथा (25) में उन के लिए नियत किया गया है ;

(ग) "टैलीफोन आपरेटर" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 की पहली अनुसूची के कालम (2) में निर्दिष्ट किसी मंत्रालय अथवा कार्यालय में टलीफोन आपरेटर के पद पर कार्य करता हो ;

(घ) इन विनियमों में प्रयुक्त किये गये अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य पदों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में परिभाषा दी गई है, अभिप्राय वही होगा जो उक्त नियमों में क्रमशः उनके लिए नियत किया गया है ।

3. **परीक्षा का आयोजन.**—(1) परीक्षा, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ढंग से होगी ।

(2) परीक्षा लिए जाने की तारीख तथा स्थान उक्त संस्थान द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. **पात्रता की शर्तें.**—(1) कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी टलीफोन आपरेटर परीक्षा में बैठने के लिये पात्र होगा ।

नोट : ऐसे टैलीफोन आपरेटर, जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अन्य गैर संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । यह ऐसे अधिकारी पर भी लागू होता है जो किसी अन्य गैर संवर्ग पद पर नियुक्त किया गया हो अथवा किसी अन्य सेवा पर अन्तरित किया हो और यदि वह टैलीफोन आपरेटर के पद पर नियत रखे हुए हों ।

(2) **परीक्षा में बैठना.**—उम्मीदवार द्वारा 1 जनवरी, 1972 के पश्चात ली गई परीक्षा में एक बार से अधिक भाग न लिया गया हो ।

(3) **शुल्क.**—ऐसी छूटों तथा रिआयतों के अधीन जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों, किसी भी उम्मीदवार को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा निर्दिष्ट शुल्क चुकाना होगा ।

5. **उम्मीदवारों के सम्बन्ध में उपार्थना.**—उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनर्ह माना जायेगा ।

6. **पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय.**—परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायगा जिसे उक्त संस्थान द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो ।

7. **परिणाम.**—परीक्षा के परिणामों पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा सेवा में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त समझे गये उम्मीदवारों के नामों की इस प्रकार शामिल किये जाने के लिए सिफारिश की जायेगी ।

उम्मीदवार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के होने पर भी जो उक्त संस्थान द्वारा विहित किए गये स्तर तक अर्हता प्राप्त न कर सके हों, परीक्षा के परिणाम पर

सेवा में शामिल किये जाने के लिये उनके द्वारा संस्तुत किये जा सकेंगे और ऐसा करते समय प्रशासन की कुशलता बनाये रखने के सम्बन्ध में यथोचित ध्यान रखा जाये ।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणामों की सूचना देने का स्वरूप और पद्धति का उक्त संस्थान अपने विवेक द्वारा विनिश्चय किया जायेगा और उक्त संस्थान परीक्षा के परिणामों के सम्बन्ध में प्रत्येक उम्मीदवार से पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

8. **नियुक्तियां** :— (1) उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में, अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित आशुलिपि टंकण परीक्षा पास करनी होगी यदि वे उसमें पहले उत्तीर्ण न हुए हों और यह परीक्षा नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर पास करनी होगी अन्यथा जब तक वे उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेंगे उन्हें तब तक वार्षिक वेतन वृद्धि (यां) नहीं दी जायेंगी ;

(2) ऐसे उम्मीदवार जो परिवीक्षा अवधि के अन्दर उक्त टंकण परीक्षा पास नहीं कर लेते वे सेवा से बर्खास्त किये जा सकेंगे ;

(3) उप-विनियम (1) तथा (2) में रखी गई किसी भी विषय के रहते हुए ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात सिविल सर्जन, द्वारा शारीरिक विकलांगता के फलस्वरूप टंकण परीक्षा पास करने में अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो, टंकण परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है और उसको इस प्रकार की छूट मिलने पर उप-विनियम (1) तथा (2) के उपबन्ध इस प्रकार की छूट की तारीख से उस पर लागू नहीं होंगे ।

(4) परन्तु वे उम्मीदवारों को जो उक्त परीक्षा पहले ही पास कर चुके हों अथवा नियुक्ति की तारीख से छः मास की अवधि के अन्दर पास कर लेते हैं, एक वर्ष की सेवा के स्थान पर छः मास बाद वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी जिसे अनुवर्ती नियमित वेतन वृद्धियों में संविलीन कर दिया जायेगा ।

9. प्रतिरूपण अथवा अन्य कदाचार के लिए दण्ड:—कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रतिरूपण अथवा ऐसा जाली दस्तावेज अथवा दस्तावेजों के प्रस्तुत करने जिसमें ऐसा विवरण दिया गया हो जो अपूर्ण अथवा बनावटी हो, जो सही न हो अथवा झूठा हो अथवा जिसमें वास्तविक जानकारी छिपाई गई हो अथवा अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित अथवा अनुचित साधन प्राप्त करने अथवा परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का उपयोग करने अथवा परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का दोषी घोषित किये जाने पर वह आपराधिक अभ्यारोपण के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी भागी होगा :—

(क) (i) उक्त संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश करने अथवा उम्मीदवारों के चयन के लिए उक्त संस्थान द्वारा लिये जाने वाली किसी इन्टरव्यू से, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन रोजगार से स्थायी रूप में अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा ।

(ख) समोचोन नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

[सं० 8/58/71-सी०एस०-II (ii)

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव ।

(Department of Personnel)

New Delhi, 31st December 1971

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos. G.S.R. 1674, dated the 31st October, 1966, and G.S.R. 1180, dated the 10th June, 1968, the Central Government, with the concurrence of the State Government concerned, hereby transfers the following officers borne on the Indian Forest Service cadre of Punjab, as it existed immediately before the reorganisation of that State under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), to the Union Territories Cadre of the said Service, with effect from the 1st day of November, 1966:—

1. Shri Ram Chandra Kaushik
2. Shri Bachan Singh
3. Shri Swarn Singh Chahal
4. Shri Romesh Chandra
5. Shri E. S. Das
6. Shri Mohinder Pal Gupta
7. Shri Inderjit Singh Kang
8. Shri Partap Singh Parmar
9. Shri Harish Chander Sharma
10. Shri Bhikhan Singh Chauhan
11. Shri Chaman Lal
12. Shri Gurdas Chand Chowdhry
13. Shri Sarbans Singh
14. Shri Glan Chand Gupta
15. Shri Dharam Pal Gupta
16. Shri Moti Singh Dod
17. Shri Dev Datt Shagotra
18. Shri Gurcharan Singh

[No. 6/40/71-(A)-AIS(IV).]

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 107.—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना

संख्या सा० सा० नि० 1974, दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 तथा सा० सा० नि० 1180 दिनांक 10 जून, 1968 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति से, एतद्द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) के अधीन राज्य के पुनर्गठन से तत्काल पूर्व विद्यमान रूप में पंजाब के भारतीय वन सेवा के संवर्ग में शामिल किये गये निम्नलिखित अधिकारियों को 1 नवम्बर, 1966 से उक्त सेवा के संघ शासित क्षेत्र संवर्ग में अन्तरित करती है :—

1. श्री रामचन्द्र कौशिक
2. श्री कंचन सिंह
3. श्री स्वर्ण सिंह चहल
4. श्री रमेश चन्द्र
5. श्री ह० एस० दास
6. श्री मोहिन्द्र पाल गुप्ता
7. श्री इन्द्रजीत सिंह कंग
8. श्री प्रताप सिंह परमार
9. श्री हरीश चन्द्र शर्मा
10. श्री भिखन सिंह चौहान
11. श्री चमन लाल
12. श्री गुरु दास चन्द चौधरी
13. श्री सरबन्स सिंह
14. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता
15. श्री धर्मपाल गुप्ता
19. श्री मोती सिंह दाड
17. श्री देवदत्त शगोत्रा
18. श्री गुरचरण सिंह

[सं० 6/40/71-(क)-अ०भा०से०(4).]

New Delhi, the 3rd January 1972

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (I) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, (hereinafter referred to as the said regulations), regulation 4 shall be omitted.

3. In regulation 5 of the said regulation, for sub-regulations (1) (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(1) Each committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year and prepare a list of such members of the State Forest Service as are held by them to be suitable for promotion to the Service. The number of members of the State Forest Service included in the list shall not be more than twice the number of substantive vacancies anticipated in the course of the period of twelve months, commencing from the date of preparation of the list, in the posts available for them under rule 9 of the Recruitment Rules, or 10 percent of senior posts shown against items 1 and 2 of the cadre schedule of each State or group of States, whichever is greater.

(2) The Committee shall consider, for inclusion in the said list, the cases of members of State Forest Service in order of seniority in the State Forest Service upto a number not less than five times the number referred to in sub-regulation (1):

Provided that:—

(i) in computing the number for inclusion in the field of consideration the number of officers referred to in sub-regulation (3) shall be excluded.

(ii) the Committee shall not consider the case of a member of the State Forest Service unless, on the first day of the January of the year in which it meets, he is substantive in the State Forest Service and has completed not less than eight years of continuous service (whether officiating or substantive) in a post of Assistant Conservator of Forests or any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government with the prior concurrence of the Central Government.

(iii) the officers belonging to any service referred to in sub-rule (g) (ii) of rule 2 of the Recruitment Rules shall not be eligible to be considered for promotion to any Cadre other than the Union Territories Cadre.

Explanation.—In computing the period of continuous service for the purpose of this regulation, there shall be included any period during which an officer has undertaken:—

(a) training in a diploma course in the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun; or

(b) such other training as may be approved by the Central Government in consulations with the Commission in any other institution.

(iv) where the number of officers who fulfil the conditions referred to in clause (ii) is less than five times the number referred to in sub-regulation (1) the Committee shall consider the cases of all those officers who fulfil the prescribed conditions.

(3) The Committee shall not ordinarily consider the case of the members of the State Forest Service who have attained the age of 52 years on the first day of January of the year in which it meets:

Provided that a member of the State Forest Service whose name appears in the select list in force immediately before the date of the meeting of the Committee shall be considered for inclusion in the fresh list, to be prepared by the

Committee even if he has in the meanwhile attained the age of 52 years.

(3A) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect".

[No. 5/9/70-AIS(IV).]

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

सा० का० नि०.108—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1972 होगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 (जिन्हें इससे आगे उक्त विनियम लिखा जाएगा) में से विनियम 4 को निकाल दिया जाएगा ।

3. उक्त विनियम के विनियम 5 में उप-विनियम (1) (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रख दिये जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक समिति की बैठकें साधारणतः एक वर्ष से अनधिक अन्तराल पर होती रहेंगी तथा समिति अपनी बैठक में राज्य वन सेवा के ऐसे सदस्यों की एक सूची बनायेगी जिन्हें वह भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझती है । सूची में शामिल किए गए राज्य वन सेवा के अधिकारियों की संख्या, भर्ती नियमों के नियम 9 के अधीन उपलब्ध पदों पर सूची तैयार करने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर प्रत्याशित स्थायी रिक्तियों की संख्या के दो गुने से अधिक नहीं होगी, या उन वरिष्ठ पदों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो भी अधिकतर हो, जो कि प्रत्येक राज्य अथवा राज्य-समूहों को संवर्ग अनुसूची की मद संख्या 1 और 2 के सामने दर्शाये गये हैं ।

(2) समिति, उक्त सूची में स्थान देने हेतु राज्य वन सेवा के सदस्यों के मामलों पर राज्य वन सेवा में उनकी वरीयता के क्रमानुसार विचार करेगी । विचारणीय अधिकारियों की संख्या उप-विनियम (1) में निर्धारित संख्या के 5 गुने से कम नहीं होगी ;

परन्तु —

(i) विचार-क्षेत्र में लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या गिनते समय उन अधिकारियों को छोड़ दिया जाएगा जिनका उल्लेख उप-विनियम (3) में किया गया है ।

(ii) समिति, राज्य वन सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि वह समिति की बैठक वाले वर्ष के जनवरी मास के पहले दिन राज्य वन सेवा में स्थायी न हो गया हो, और जब तक उसने सहायक वनपाल के पद पर या उन पदों पर जो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से उस पद के बराबर घोषित किए गये हों, 8 वर्ष से अन्यून लगातार सेवा (स्थानापन्न अथवा स्थायी) पूरी न कर ली हो ।

(iii) भर्ती नियमों के नियम 2 के उप नियम (छ) (ii) में उल्लिखित किसी भी सेवा से संबंध रखने वाले अधिकारीगण संघ शासित-क्षेत्र संवर्ग को छोड़ कर किसी दूसरे संवर्ग में पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण :—इन विनियमों के प्रयोजनार्थ लगातार-सेवा की गणना करते समय वह अवधि भी गिनी जाएगी जिस अवधि में अधिकारी निम्नलिखित प्रशिक्षण पर रहा हो :—

(क) वन-अनुसंधान संस्थान तथा कालेज, देहरादून के किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण, या

(ख) किसी दूसरे संस्थान में कोई इतर प्रशिक्षण जिसे केन्द्रीय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अनुमोदित किया हो ।

(iv) जहां खण्ड (ii) में वर्णित शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों की संख्या उप-विनियम (i) में निर्धारित संख्या के 5 गुने से कम रहे, वहां समिति उन सभी अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी, जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

(3) समिति सामान्यतः राज्य वन सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिनकी आयु समिति की बैठक वाले वर्ष के जनवरी मास के पहले दिन 52 वर्ष की हो गई हो ;

परन्तु बनाई जाने वाली नयी सूची में राज्य वन सेवा के उस सदस्य को शामिल करने पर समिति विचार करेगी जिसका नाम, समिति की बैठक से तत्काल पूर्व लागू प्रवरण—सूची में हो, भले ही इस बीच उसकी आयु 52 वर्ष हो गई हो।

(3क) इस सूची में शामिल करने के निमित्त चयन हर लिहाज से गुण तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा।

[सं 5/9/70-ए०आई०एस०(4)]

New Delhi, the 4th January 1972

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub rule (2) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government hereby allocates to the State Cadre of the Indian Forest Service of Himachal Pradesh with effect on and from the 25th January, 1971, the following members of the Indian Forest Service borne on the cadre of that Service of the Union Territories, namely:—

S. No.	*Name*
	Sarvashri:
1.	V. P. Agarwala
2.	Ram Chandra Kaushik
3.	Bachan Singh
4.	Swarn Singh Chahal
5.	Romesh Chandra
6.	E. S. Das
7.	J. N. Mullick
8.	Sughan Chand Gaur
9.	Vasudev Raina
10.	V. K. Sharma
11.	Mohinder Pal Gupta
12.	Inderjit Singh Kang
13.	Partap Singh Parmar
14.	Ranvir Singh
15.	S. D. Upadhyay
16.	Bhagwan Singh Parmar
17.	Ramesh Chand Datta
18.	Dev Dait Sharma
19.	G. S. Mathauda
20.	Satya Vrat
21.	Sant Ram
22.	Nagar Mal Mahajan
23.	Durga Dass Mehta
24.	R. S. Gujral
25.	A. K. Mukerji
26.	V. P. Mohan
27.	P. C. Sharma
28.	Sarbans Singh
29.	Harish Chander Sharma
30.	M. S. L. Vaidya
31.	P. N. Tiku
32.	Chaman Lal
33.	Bhikhan Singh Chauhan
34.	Dharam Pal Gupta
35.	Gian Chand Gupta
36.	Gurdas Chand Chowdhry
37.	S. K. Pande
38.	R. C. Sharma
39.	S. R. Arya
40.	N. K. Joshi
41.	Gobind Ram
42.	V. M. Mohan
43.	B. N. Ghildayal
44.	Baldev Singh
45.	G. S. Negi
46.	P. L. Kaul
47.	Moti Singh Dod
48.	Dev Datt Shagotra
49.	Gurcharan Singh
50.	Durga Prasad
51.	H. P. Sharma
52.	T. S. Patyal
53.	R. L. Verma
54.	Dilaram Dhiman
55.	Narendra Kumar Mathur
56.	Devi Chand Thakur
57.	Chering Dorje.

[No. 6/7/71-AIS (IV).]

नई दिल्ली, 4 जनवरी 1972

सा० का० नि० 109— हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा (4) और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 617 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र के उस सेवा के संवर्ग में शामिल किए गये निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के सदस्यों को 25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश के भारतीय वन सेवा के राज्य संवर्ग को एतद्द्वारा आबंटित करती है।

क्र० सं०	नाम
1.	सर्वश्री वी० पी० अग्रवाल
2.	,, रामचन्द्र कौशिक
3.	,, बचन सिंह
4.	,, स्वर्ण सिंह चहल
5.	,, रमेश चन्द्रा
6.	,, इ० एस० दास
7.	,, जे० एन० मल्लिक
8.	,, सुघन चन्द गौड़
9.	,, वासुदेव रैना
10.	,, वी० के० शर्मा
11.	,, मोहिन्दर पाल गुप्ता

12. सर्वश्री इन्दरजीत सिंह कांग
13. ” परताप सिंह परमार
14. ” रणबीर सिंह उपाध्याय
15. ” एम० डी० उपाध्याय
16. ” भगवान सिंह परमार
17. ” रमेश चन्द दत्त
18. ” देव दत्त शर्मा
19. ” जी० एस० मथोडा
20. ” सत्य व्रत
21. ” सन्त राम
22. ” नागर मल महाजन
23. ” दुर्गा दास मेहता
24. ” आर० एस० गुजराल
25. ” ए० ए० मुकर्जी
26. ” वी० पी० मोहन
27. ” पी० सी० शर्मा
28. ” सरबन्स सिंह
29. ” हरीश चन्द्र शर्मा
30. ” एम० एस० एल० वैश
31. ” पी० एन० टिक्कू
32. ” चमन लाल
33. ” बिशन सिंह चोहान
34. ” धर्म पाल गुप्ता
35. ” ज्ञान चन्द गुप्ता
36. ” गुरदास चन्द चौधरी
37. ,, एस० ए० पाण्डे
38. ,, आर० पी० शर्मा
39. ,, एस० आर० आर्य
40. ,, एन० के० जोशी
41. ,, गोविन्द राम
42. ,, बी० एस० मोहन
43. ,, बी० एन० थिलडयाल
44. ,, बलदेव सिंह
45. ,, जी० एस० नेगी
46. ,, पी० एन० कौल
47. ,, मोती सिंह डाए
48. ,, देव दत्त गगोत्र
49. ,, गुरचरन सिंह
50. ,, दुर्गा प्रशाद
51. सर्वश्री एच० पी० शर्मा
52. ,, टी० एस० पत्यल
53. ,, आर० एल० वर्मा
54. ,, दिलाराम थिमन
55. ,, नरेन्द्र कुमार माथुर
56. ,, देवी चन्द ठाकुर
57. ,, चैरिग डांग्जे

[सं० 6/7/71 अ०भा०से०(4)]

ORDER

New Delhi, the 31st December 1971

G.S.R. 110. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and in supersession of the orders of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos. G.S.R. 1675, dated the 31st October, 1966 and G.S.R. 1181, dated the 10th June, 1968, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby directs that the members of the Indian Forest Service specified in column 2 of the Table below and borne immediately before the 1st day of November, 1966, on the Punjab cadre of the Service shall as from that day, be deemed to have been allocated to the cadre of the said Service in the States specified against their names in column 3 thereof:—

TABLE

S. No.	Name of member	State to which allocated
1.	2	3
1.	Shri Gurbakhsh Singh Dhillon	Punjab
2.	Shri Gurbachan Singh	Punjab
3.	Shri C. M. Sethi	Punjab
4.	Shri Jagjit Singh	Punjab
5.	Shri Avtar Singh Sidhu	Punjab
6.	Shri Jagdev Singh Sidhwan	Punjab
7.	Shri Surinder Kumar Kapur	Punjab
8.	Shri Yash Pal Chowdhry	Punjab
9.	Shri Harnek Singh Randev	Punjab
10.	Shri Gurcharanjit Singh Sandhu	Punjab
11.	Shri Piara Lal Kaler	Punjab
12.	Shri Avtar Singh Bhinder	Punjab
13.	Shri Ranjodh Singh	Punjab
14.	Shri Rajinder Singh	Punjab
15.	Shri Dharam Pal Singh	Haryana
16.	Shri Rattan Singh Sahrawat	Haryana
17.	Shri Chandan Singh	Haryana
18.	Shri Kasturi Lal Malik	Haryana
19.	Shri Gurnam Singh	Haryana
20.	Shri Mahipal Singh	Haryana
21.	Shri Sube Singh Dalal	Haryana
22.	Shri Mohinder Singh Vaid	Haryana

[No. 6/40/71-AIS (IV).]
M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1971

सा० का० नि० 110.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 82 की उपधारा (2) और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय संख्या सा० सा० नि०. 1181 तारीख 10 जून, 1968 के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके एतद्द्वारा निदेश देती है कि निम्नलिखित तालिका के कालम 2 में निर्दिष्ट तथा इस सेवा के पंजाब संवर्ग में 1 नवम्बर, 1966 के तत्काल पूर्व शामिल किये गये भारतीय वन सेवा के सदस्यों को उसी तारीख से इस तालिका के कालम 3 में उनके नामों के सामने निर्दिष्ट राज्यों की उक्त सेवा के संवर्ग में आवंटित किया गया समझा जायेगा ।

तालिका

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	आवंटित किये गये राज्य का नाम
1.	श्री गुरबख्श सिंह ढिल्लों	पंजाब
2.	श्री गुरबचन सिंह	पंजाब
3.	श्री पी० एम० सेठी	पंजाब
4.	श्री जगजीत सिंह	पंजाब
5.	श्री अवतार सिंह सिंधू	पंजाब
6.	श्री जगदेव सिंह सिधवां	पंजाब
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार कपूर	पंजाब
8.	श्री यशपाल चौधरी	पंजाब
9.	श्री हरभेज सिंह रनदेव	पंजाब
10.	श्री गुरचरन जीत सिंह सधू	पंजाब
11.	श्री प्यारेलाल कपूर	पंजाब
12.	श्री अवतार सिंह भिंडर	पंजाब
13	श्री रनजोध सिंह	पंजाब
14.	श्री राजेन्द्र सिंह	पंजाब
15.	श्री धर्मपाल सिंह	हरियाणा
19.	श्री रतन सिंह महरावत	हरियाणा
17.	श्री चन्दन सिंह	हरियाणा
18.	श्री कस्तूरी लाल मलिक	हरियाणा
19.	श्री गुरनाम सिंह	हरियाणा
20	श्री महीपाल सिंह	हरियाणा
21.	श्री सूबे सिंह दलाल	हरियाणा
22.	श्री सोहेन्द्र सिंह बैद	हरियाणा

[सं 6/40/71-अ०भा० से० (4)]

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th January 1972

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central excise rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 46/71-CE, dated the 24th April, 1971, namely:—

In the Table below the said notification—

(a) in column (2), in S. Nos. 1 and 3, the word 'Kraft' shall be omitted;

(b) in column (3) of S. No. 3, for the words 'corrugated board used in its manufacture', the words 'corrugated board contained therein, shall be substituted.

[No. 8/72-CE—F. No. 28/15/70-CX2.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 111.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 46/71—के० उ० शु० तारीख 24 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में :—

(क) क्रम संख्या 1 और 3 में, स्तम्भ (2) में, "कापट" शब्द लुप्त किया जाएगा ;

(ख) क्रम संख्या (3) के स्तम्भ (3) में, 'उसके विनिर्माण में प्रयुक्त कारुगेटेड बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "उसमें अन्तर्विष्ट कारुगेटेड बोर्ड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 8/72-सीमाशुल्क/फा०सं० 28/15/70-बी०शु०-2]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th January 1972

G.S.R. 112. The Corrigenda issued with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 932, dated the 16th April, 1971, and published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 2396 is hereby cancelled.

[No. 2-PG(25)/67.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972